इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 23 जनवरी 2020—माघ 3, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2020

क्र. 1320-19-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 22 जनवरी 2020 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ७ सन् २०२०

महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१९

[दिनांक २२ जनवरी, २०२० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २३ जनवरी, २०२० को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, २००६ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१९ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा २८ का संशोधन.

२. महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, २००६ (क्रमांक १५ सन् २००८) की धारा २८ में,—

(एक) उपधारा (२) में, खण्ड (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(एक) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया एक व्यक्ति;";

(दो) उपधारा (३) में, शब्द "कार्य परिषद्" के स्थान पर, शब्द "राज्य सरकार" स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2020

क्र. 1320-19-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (३) के अनुसरण में, महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१९ (क्रमांक ७ सन् २०२०) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 7 OF 2020

THE MAHARSHI PANINI SANSKRIT VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2019

[Received the assent of the Governor on the 22nd Janyary, 2020; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 23rd January, 2020.]

An Act further to amend the Maharshi Panini Sanskrit Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2006.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventieth year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Maharshi Panini Sanskrit Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Amendment of Section 28.

2. In Section 28 of the Maharshi Panini Sanskrit Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2006 (No. 15 of 2008),—

(i) in sub-section (2), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:—

"(i) one person nominated by the State Government;";

(ii) in sub-section (3), for the words "Executive Council", the words "State Government" shall be substituted.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.